


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2014/वैशाख 8, 1936

No. 227]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2014/VAISAKHA 8, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, 398, 399, 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 28 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, उपनियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(12)(क) नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन एक-व्यक्ति कंपनियों और लघु कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले निम्नलिखित ई-प्ररूप, यथास्थिति, पूर्णकालिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार, द्वारा पूर्व प्रमाणित होंगे अर्थात्:—

आई एन सी-21, आई एन सी-22, आई एन सी-28, पी ए एस-3, एस एच-7, सी एच जी-1, सी एच जी-4, सी एच जी-9, एम जी टी-14, डी आई आर-6, डी आई आर-12, एम आर-1, एम आर-2, एम एस सी-1, एम एस सी-3, एम एस सी-4, जी एन एल-3, ए डी टी-1, एन डी एच-1, एन डी एच-2, एन डी एच-3;

(ख) नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन एक व्यक्ति कंपनियों और लघु कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले निम्नलिखित ई-प्ररूप इस प्रकार पूर्व प्रमाणित किए जाएंगे, अर्थात्:—

- (i) जी एन एल-1-, यथास्थिति, पूर्णकालिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार, के द्वारा वैकल्पिक पूर्व प्रमाणन;
- (ii) डी पी टी-3- कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणन;
- (iii) एम जी टी-10 – पूर्णकालिक व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणन;
- (iv) ए ओ सी-4 – पूर्णकालिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणन;

(ग) ई-प्ररूप डी आई आर-3 के साथ-साथ, यथास्थिति, पूर्णकालिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार, द्वारा अनुप्रमाणित आवेदक का फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण फाइल किया जाएगा।“

3. नियम 9 के उक्त नियमों में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) केन्द्रीय सरकार एक सुरक्षित केन्द्रीकृत इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना और अनुरक्षण करेगी जिसमें सभी आवेदन, वित्तीय विवरण, प्रास्पेक्टस, रिटर्न, रजिस्टर, ज्ञापन, अनुच्छेद, प्रभार के विवरण अथवा अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य विवरण या रिटर्न या कोई अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल किए और रखे जाएंगे।“

[फा. सं. 1/5/2014 – सीएल-V]

रेणुका कुमार संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2014

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and section 404, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force with effect from the 28th day of April, 2014.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 (herein after referred to as the said rules), in rule 8, after sub-rule (11), following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(12)(a) The following e-forms filed by companies, other than one person companies and small companies, under sub-rule (1) of rule 9, shall be pre-certified by the Chartered Accountant or the Company Secretary or as the case may be the Cost Accountant, in whole-time practice, namely:—

INC-21, INC-22, INC-28, PAS-3, SH-7, CHG-1, CHG-4, CHG-9, MGT- 14, DIR-6, DIR-12, MR-1, MR-2, MSC-1, MSC-3, MSC-4, GNL-3, ADT-1, NDH-1, NDH-2, NDH-3;

(b) The following e-forms filed by companies, other than one person companies and small companies, under sub-rule (1) of rule 9, shall be pre-certified in the following manner, namely:—

- (i) GNL-1 - optional pre-certification by the Chartered Accountant or the Company Secretary or as the case may be the Cost Accountant, in whole-time practice;
- (ii) DPT-3 – certification by Auditors of the company;
- (iii) MGT-10-certification by a Company Secretary in whole-time practice;

(iv) AOC-4- certification by a Chartered Accountant in whole-time practice;

(c) E-form DIR-3 shall be filed along with attestation of photograph, identity proof and proof of residence of the applicant by the Chartered Accountant or the Company Secretary or as the case may be the Cost Accountant, in whole-time practice.”

3. In the said rules, in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The Central Government shall set up and maintain a secure centralised electronic registry in which all the applications, financial statement, prospectus, return, register, memorandum, articles, particulars of charges, or any particulars or returns or any other documents under the Act shall be filed and stored electronically."

[F. No.1/5/2014-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.